


C.No. 365/2020 (रामलाल पंडे के पक्ष)

22/11/23

वकील वादी द्वारा एक जाणपत्र वास्तु वाड का निपत लिपी से पूर्ण तलब किये जाने बाबत पेअ करन तथा न्यायपटितमे जाणपत्र स्वीकार किये जाने मे पगावली निपत लिपी से पूर्ण आज तलब की गई। वकील वादी द्वारा एक जाणपत्र वास्तु एकरण मे राजीनामे हो जाने से एकरण को Not प्रवस मे खारिज किये जाने का निकस्य किय। हमारे द्वारा वकील वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा आडेबिठा पर Not प्रवस मे अफन किय गया। अतः वाडी का वाड इसी स्तर पर Not प्रवस मे खारिज किये जाते हैं। पगावली निपत सुना होना नमेष के कुम हो।


उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेरा)

Not prass
Kishu
15/11/23

